

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(एन -55/90आर)/अलेसे-II 205

दिनांक:- 26.6.19

आदेश संख्या 159/2019-20

श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं. 2541), कार्यालय कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर को विभागीय आदेश क्रमांक 64 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 56/2016 में रुपये 10,000/- की रिश्वत मांगकर प्राप्त करने के कारण दिनांक 28.03.2016 को रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने की दिनांक से निलंबित कर मुख्यालय कोषालय पाली किया गया। कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने के क्रम में श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर में किया जाता है। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधधीन रहेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(एन -55/90आर)/अलेसे-II 205

दिनांक:- 26.6.19

प्रतिलिपिनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, अजमेर/पाली।
5. प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री नागरमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय- कोषाधिकारी पाली।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)